2025/406

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा**

**पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई**

**मुकदमा संख्या–108 / 2025**

1. रामजीलाल पुत्र पन्ना
2. परताराम पुत्र पन्ना
3. मिडयाराम पुत्र पन्ना

समस्त जाति माली निवासी ग्राम धांधोलाई पटवार हल्का बडियाल कलॉ तहसील बांदीकुई

—: **प्रार्थीगण**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।

—: **अप्रार्थी**

## प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती

दिनांक निर्णय–01.08.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धांधोलाई पटवार हल्का बडियाल कलॉ तहसील बांदीकुई के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 104 पुराना 102 में प्रार्थीगण का नाम परत्या पुत्र मन्ना, मीडया पुत्र मन्ना व रमज्या पुत्र मन्ना दर्ज रिकॉर्ड है, जो की गलत दर्ज है। प्रार्थीगण का सही नाम रामजीलाल पुत्र पन्ना, परताराम पुत्र पन्ना व मिडयाराम पुत्र पन्ना है। प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होन से प्रार्थीगण की भी सरकारी योजना का लाभ नही ले पा रहे है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 104 पुराना 102 में दर्ज प्रार्थीगण के गलत नाम परत्या पुत्र मन्ना, मीडया पुत्र मन्ना व रमज्या पुत्र मन्ना के स्थान पर सही नाम रामजीलाल पुत्र पन्ना, परताराम पुत्र पन्ना व मिडयाराम पुत्र पन्ना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नायब तहसीलदार बडियाल कलॉ से जॉच रिपोर्ट चाही गई। नायब तहसीलदार बडियाल कलॉ द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/1404 दिनांक 29.07.2025 द्वारा पटवारी हल्का द्वारा बनाया गया मौका पर्चा ग्राम धांधोलाई भिजवाया गया। मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीयान का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2074–2077 खाता संख्या नया 104 ग्राम धांधोलाई में परत्या, मीडया, रमज्या पि0 मन्ना दर्ज रिकार्ड है, जो गलत है। प्रार्थीयान के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैक पास बुक इत्यादि में प्रार्थीयान का नाम रामजीलाल पुत्र पन्नाराम, परताराम पुत्र पन्नाराम व मिडयाराम पुत्र पन्नाराम है, जो सही है तथा गॉव में उपस्थित ग्रामीणो ने भी परत्या, मीडया, रमज्या पि0 मन्ना व रामजीलाल, परताराम, मिडयाराम पि0 पन्नाराम तीनो व्यक्ति समान होना बताया गया।

१५६

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में बहस प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण का कथन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 104 पुराना 102 में दर्ज प्रार्थीगण के गलत नाम परत्या पुत्र मन्ना, मीडया पुत्र मन्ना व रमज्या पुत्र मन्ना के स्थान पर सही नाम रामजीलाल पुत्र पन्ना, परताराम पुत्र पन्ना व मिडयाराम पुत्र पन्ना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। बहस प्रार्थीगण पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं शपथ पत्र व मौका पर्चा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं शपथ पत्र व मौका पर्चा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाता है कि ग्राम धाधोलाई पटवार हल्का बडियाल कलॉ तहसील बांदीकुई के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 104 पुराना 102 में प्रार्थीगण के गलत नाम परत्या पुत्र मन्ना, मीडया पुत्र मन्ना व रमज्या पुत्र मन्ना के स्थान पर रामजीलाल पुत्र पन्ना, परताराम पुत्र पन्ना व मिडयाराम पुत्र पन्ना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

01.8.25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

...लाख फा.

APP
Crll

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

रामजीलाल वगै. बनाम सरकार

किस्म मुकदमा ........ नं० 108 सन् 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 1/8/2025 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उप०। प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र नाम शुद्धि का न्यायालय हाजा मे दिनांक 11/7/25 को पेश किया गया था। जिस पर नायब तहसीलदार बडियाल कलॉ द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट पत्रांक 1404 दिनांक 29/7/25 के द्वारा पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रा० पत्र व मौका पर्चा रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से प्रा० पत्र नाम दुरूस्ती का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 1.8.25<br>उप खण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई (दौसा) | |

Scanned with OKEN Scanner